

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 22 : Cancellation of registration

- (1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in **FORM GST REG-17**, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.
- (2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM REG-18** within the period specified in the said sub-rule.
- (3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in **FORM GST REG-19**, within a period of thirty days from the date of application submitted under ¹[****] rule 20 or, as the case may be, the date of reply to the show cause issued under sub-rule (1), ²[or under sub-rule (2A) of rule 21A], cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.
- (4) Where the reply furnished under sub-rule (2) ³[or in response to the notice issued under sub-rule (2A) of rule 21A] is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG-20**:
⁴**[Provided that where the person instead of replying to the notice served under sub-rule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in FORM GST-REG 20.]**
- (5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.

1 The words "sub-rule (1) of" omitted by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.
2 Inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.
3 Inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.
4 Proviso inserted by N. No. 39/2018–Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 04-09-2018.

नियम 22 : रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

- (1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी आरईजी-17** में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-18** में प्रस्तुत करेगा।
 - (3) जहां व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 ¹[.....] के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर ²[या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन] की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-19** में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से, किसी कर, ब्याज या शास्ति जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम भी है के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।
 - (4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर ³[या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में] संतोषप्रद पाया जाता है, उचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** में एक आदेश पारित करेगा।
- ⁴**परन्तु** जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाय, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध्य कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** में आदेश पारित करेगा।
- (5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागू होंगे।

1 अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा शब्द "के उप-नियम (1)" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

3 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

4 अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।